

**कार्यालय प्राचार्य, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस,  
शासकीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शिवपुरी (म.प्र.)**

क्रमांक 1098 / 2024

दिनांक 28.08.24

**// दिव्यांगजनों हेतु विशेष भर्ती अभियान //**

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग तथा सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत जिला शिवपुरी में निम्नानुसार दिव्यांगजनों के रिक्त पदों हेतु विशेष भर्ती अभियान के तहत निर्धारित योग्यता एवं अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों के लिये दिनांक 12.09.2024 तक आवेदन प्राचार्य, शासकीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शिवपुरी (म.प्र.) के पते पर रजिस्टर्ड डांक से आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र.	पदनाम/ वेतनमान	पद श्रेणी	शैक्षणिक योग्यता	दिव्यांगजन के लिए आरक्षित रिक्त पदों की संख्या				वॉक-इन इंटरव्यू केवल पात्र आवेदक ही उपस्थित होंगे स्थल शा0 श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शिवपुरी (म.प्र.) प्रातः 11 बजे
				"लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित हैं, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मक्त, बौनापन, एसिड अटैक, मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी (LD)'	"बहरे और कम सुनने वाले (EH)'	"दृष्टि बाधित एवं कम दृष्टि (VH)''	"ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मानसिक बिमारी और बहुविकलांगता (MD)''	
1	प्रयोगशाला परिचारक (18000-56900)	चतुर्थ श्रेणी	10वीं कक्षा उत्तीर्ण	00	01	00	00	दिनांक 19.09.24 को प्रातः 11 बजे

उक्त विज्ञापन के आवश्यक नियम एवं निर्देश तथा आवेदन का प्रारूप महाविद्यालय की वेबसाइट <https://govtmspgcollegeshivpuri.org> पर उपलब्ध है।

प्राचार्य  
शा० श्रीमंत माधवराव सिंधिया  
स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
शिवपुरी (म.प्र.)

पृ0क्रमांक- 1099 / 2024

दिनांक 28.08.24

प्रतिलिपि:-

- 1- आयुक्त, उ.शि. सतपुडा भवन, भोपाल (म.प्र.) कृपया पोर्टल पर अपलोड करने का कष्ट करें
- 2- संपादकीय कार्यालय, रोजगार और निर्माण, 40 प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स भोपाल म0प्र0 कृपया उपरोक्त सूचना रोजगार निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
- 3- निदेशक जनसम्पर्क अधिकारी, जिला जनसम्पर्क कार्यालय, शिवपुरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 4- निदेशक आकाशवाणी केन्द्र शिवपुरी, कृपया उपरोक्त सूचना आकाशवाणी केन्द्र के माध्यम से प्रसारित करने का कष्ट करें।
- 5- अतिरिक्त संचालक, उ0शि0, ग्वालियर म0प्र0
- 6- समस्त प्राचार्य, शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय जिला शिवपुरी की ओर महाविद्यालय के सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु प्रेषित।
- 7- जिला रोजगार अधिकारी, जिला रोजगार कार्यालय शिवपुरी की ओर सूचना पटप पर चस्पा हेतु प्रेषित।
- 8- नगर संवाददाता, दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर/पत्रिका/राज एक्सप्रेस कृपया उपरोक्त सूचना अपने समाचार पत्र में प्रदेश स्तर पर प्रकाशित करने का कष्ट करें।
- 9- प्रो0 पुनीत कुमार, बेवसाईट प्रभारी शा० श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शिवपुरी (म.प्र.) कृपया संलग्न सूचना महाविद्यालय के बेवसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

प्राचार्य  
शा० श्रीमंत माधवराव सिंधिया  
स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
शिवपुरी (म.प्र.)

**निर्धारित समिति**

- |    |  |   |                        |
|----|--|---|------------------------|
| 1. | नोडल अधिकारी एवं सहायक नोडल अधिकारी    | - | प्रदेश स्तर पर्यवेक्षक |
| 2. | क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक              | - | संभागीय पर्यवेक्षक     |
| 3. | प्राचार्य अग्रणी महाविद्यालय           | - | जिला मुख्यालय, अध्यक्ष |
| 4. | प्राचार्य संबंधित शासकीय महाविद्यालय   | - | सदस्य (नियोक्ता)       |
| 5. | प्रत्येक महाविद्यालय के 02 प्राध्यापक, | - | सदस्य                  |
| 6. | सामाजिक न्याय विभाग (उप संचालक)        | - | विशेष आमंत्रित सदस्य   |

**शैक्षणिक योग्यता/अर्हता**

1	प्रयोगशाला परिचालक	10वीं कक्षा उत्तीर्ण,
---	--------------------	-----------------------

**आवश्यक नियम एवं निर्देश :-**

1. आवेदक का मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
2. समस्त प्रमाण पत्र की स्वयं सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3. आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष निर्धारित है।
4. आवेदक का म.प्र. में किसी भी रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
5. विभाग में कार्यरत आवेदक कर्मचारी नियोजक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
6. पात्र आवेदक को दिनांक 19.09.24 को प्रातः 11 बजे इस महाविद्यालय में वॉक-इन इंटरव्यू के समय सभी प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां दिखाना अनिवार्य है।
7. संबंधित जिले के शासकीय जिला चिकित्सालय में मेडिकल बोर्ड के द्वारा जारी किया गया ही प्रमाण-पत्र मान्य होगा, ऐसे दिव्यांग जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम है वे अपात्र मान्य किये जावेंगे तथा साथ ही यू.डी.आई.डी. से जारी दिव्यांगता डिजिटल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिये निर्धारित की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, इस पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

9. जिस आवेदक को 02 से अधिक संतान है उनमें से एक का जन्म यदि 26 जनवरी 2001 को या उससे पश्चात हुआ हो तब ऐसा आवेदक नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
10. वॉक-इन-इंटरव्यू से पूर्व संबंधित पद की समस्त अर्हता/योग्यता आवेदक के पास होना आवश्यक है।
11. नियुक्ति से संबंधित सभी अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा भोपाल के पास सुरक्षित होंगे।
12. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक दिनांक 17/07/2014 के अनुसार निःशक्तजनों की नियुक्ति के पश्चात् एवं उनके कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व जिला मेडिकल बोर्ड से निःशक्तता प्रमाण पत्र का परिक्षण कराया जाये।
13. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन दिनांक 13.10.2015 के अनुसार मूक बधिर श्रेणी के निःशक्तजनों की शासकीय भर्ती से पूर्व मेडिकल बोर्ड में बैरा टेस्ट (Bera Test) कराना अनिवार्य है।
14. मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के पत्र दिनांक 31.05.2024 की कंडिका 2.4 के अनुसार दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित रिक्त पदों की पूर्ति वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से की जाये, यह स्पष्ट किया गया है कि वॉक-इन-इंटरव्यू से आशय साक्षात्कार के लिए पृथक से अंक दिये जाने की आवश्यकता नहीं है। उच्च शिक्षा विभाग के रिक्त पदों के लिए नियमों में उल्लेखित आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता के आधार पर मैरिट सूची बनायी जाकर पद पूर्ति की जाए।
15. इस विशेष भर्ती अभियान में सामान्य प्रशासन विभाग एवं मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के समय-समय पर जारी नियम एवं निर्देश लागू किये जावेंगे।
16. विज्ञापित पदों की संख्या कम या अधिक अथवा विज्ञप्ती निरस्त की जा सकती है।
17. म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 12.12.2019 के अनुसार तीन वर्ष की परिवीक्षा पर प्रथम वर्ष वेतनमान का 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। अन्य सेवा शर्तें विभाग में प्रचलित नियमानुसार होंगी।
18. उक्त विज्ञापन के सम्बंध में किसी भी प्रकार की आपत्ती हो तो प्राचार्य प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एकसीलेंस शासकीय श्रीमंत माधवराव सिधिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय शिवपुरी को दिनांक 02.09.24 तक अवगत करावें, इसके पश्चात विचार नहीं किया जावेगा।
19. यदि भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रकार का संशोधन किया जाता है तो केवल महाविद्यालय की वेबसाईट पर ही प्रकाशित किया जावेगा। इसकी सूचना पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं की जावेगी।



प्राचार्य  
शा० श्रीमंत माधवराव सिधिया  
स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
शिवपुरी (म.प्र.)